

14/06  
2024

पत्रावली पेश हुई। वकील डायरी  
अनुपस्थित। पत्रावली से संबंधित  
मूल वाद (दावा) न्यायालय  
द्वारा के दावा दर्ज रजिस्टर  
के क्रमांक 145/2022 से दर्ज  
होना पाया गया है। उक्त दावा  
145/2022 पूर्व में दिनांक  
15/11/2022 को अदम एजरी  
अदम पैरवी में खारिज किया  
जा चुका है - पूर्ण मूखवाद।  
दावा के खारिज हो जाने पर,  
प्राप्त अर्थात् निषेधाज्ञा  
स्वतः ही सारहीन व निरर्थक  
हो जाता है कोई वाद अरण  
शेष नहीं होने से प्राप्त  
अर्थात् निषेधाज्ञा सारहीन।  
निरर्थक होने के कारण पोषणीय  
नहीं होने से खारिज किया  
जाता है पत्रावली फल

जयपुर शहर प्रथम

# फर्द अहकाम

कंठेपालाल बनाम लालपू

नाम न्यायालय AIM जयपुर

केस संख्या ER 257084

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>शुभार होकर, फर्द नम्बर सै कम होकर फर्द कार्रिल हो। नियम आज दिनांक 14/6/24 को सरे इजलास सुनाया गया।</p> <p><i>[Signature]</i> जयपुर शहर प्रथम</p>